विषय:संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति के क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी के 3-4-2010 के निरीक्षण उपरांत कार्यवाही के निर्देश

दिनांक 3.4.2010 को क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी का संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान दिए जाने की विशेष आवश्यकता है :

1. प्रत्येक क्षेत्रीय निदेशक पृष्ठ 33-47 तक के निर्देशों का अच्छी तरह अध्ययन कर, पालन करें ।
2. हिन्दी कार्यशाला वर्ष में चार अर्थात् हर तिमाही में एक बार और विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें हर तिमाही में एक बार नियमित अंतराल पर अवश्य आयोजित की जाएं।
3. कार्यालय द्वारा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण (हिन्दी/हिन्दी टाइप/आशुलिपि/हिन्दी कार्यशाला) दिया गया है, उनकी सेवाओं का भरपूर लाभ उठाया जाए।
4. विज्ञापनों में हिन्दी, अंगरेजी और क्षेत्रीय भाषाओं का विशेष रूप से प्रयोग होना चाहिए और राजभाषा नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय टी.वी. चैनलों में त्रिभाषा का उल्लंघन न हो।
5. हिन्दी पदों के नार्म के मुताबिक सृजन संबंधी/भर्ती/तैनाती की समस्त कार्यवाही हर हालत में 31मई, 2010 तक पूर्ण कर ली जाए ताकि संसदीय समिति को अनुपालन रिपोर्ट भेजी जा सके ।
6. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आयोजित की जाने वाली बैठकें तिमाही समाप्त होने के बाद अगले माह के आखिरी सप्ताह में की जाएं ताकि तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा हो सके और अगली तिमाही के लिए अधिक से अधिक हिन्दी कार्य करने पर विचार किया जा सके ।

संयुक्त निदेशक (राजभाषा), श्रम मंत्रालय, भारत सरकार
संयुक्त निदेशक (राजभाषा), मुख्यालय/सभी क्षेत्रीय निदेशक, उप क्षेत्रीय निदेशक/संयुक्त निदेशक-1, 2/निदेशक (वित्त), मुख्यालय ।

6/4/10

बी० के० साहू / B. K. SAHU
बीमा आयुक्त / Insurance Commissioner
क० रा० बी० निगम (मु०) / ESIC (Hqrs.)
पंचदीप भवन, सी०आई०जी० मार्ग, नई दिल्ली-2
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi-2